

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : भीमसिंह लखावत, तहसीलदार

मिसल संख्या : 42/17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 22.09.2017

निर्णय दिनांक : 03.11.2017

राजस्थान सरकार

बनाम

मालचंद, देवाराम, मागीलाल

गणपतलाल, शिवलाल, पि. रामूराम

जाति कुमावत नि0 पांचवा



—: उनवान :—

किस्म पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मालचंद पुत्र रामूराम कुमावत वगैराह निवासीयान पांचवा नें ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 329 कुल रकबा 1.80 हैक्टेयर में से रकबा 1.40 हैक्टर किस्म गै.मु. गौचर भूमि पर सम्वत 2074 में कास्त (मूंग 0.70, चवला 0.70 है0) कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमियों को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये गये। नोटिसों की प्रतिया गैर सायलान की माता आशा देवी व गैर सायल शिवलाल के नोटिस की प्रति पुत्र लालचन्द ने प्राप्त किये। गैर सायलान अनुपस्थित रहै।

गैर सायल आज दिनांक को भी अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई गैर सायलान का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि गैर सायलान ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहे है।

गैर सायलान को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम पांचवा के आराजी राज खसरा नम्बर 329 कुल रकबा 1.80 हैक्टेयर गै.मु. गौचर भूमि में से रकबा 1.40 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायलान पर

सगता

(2)

लगान 7 का पच्चास गुणा से राशि 350/- अक्षरे तीन सौ पंचास रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को फसल निलामी व गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे। आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भीमसिंह^{अप} लखावत)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर -राज0